household income has estimated the percentage of people below the poverty line in rural areas of 16 States as 39 per cent in 1994.

(b) Based on the methodology outlined in the report of the Task Force on Projection of Minimum Needs and Effective Consumption Demand (1979), the incidence of poverty in the country was estimated as 18.96 per cent in 1993-94 based on the data of Sub Sample-I of National Sample Survey on Consumer Expenditure, 50th Round.

(c) The differences in the two estimates are due to the methodology adopted and the data base.

(d) The Planning Commission estimates the incidence of povety using the quinquennial National Sample Survey data on Consumer Expenditure. The incidence of poverty in 1993-94 is estimated as 35.97 per cent following the recently adopted official methodology which is based on the report of the Expert Group on Estimation of Proportion and Number of Poor.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबद्ध बेरोजगार युवकों के निर्धारण हेतु समिति गठित करना

2806. **श्री रामजीलालः**
श्री अजीत जोगीः

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध बेरोजगार युवकों की संख्या के मूल्यांकन हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे युवकों की राज्य-वार संख्या कितनी है और यदि उपर्युक्त भाग "क" का उत्तर नहीं हो तो क्या ऐसा आकलन किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा उन युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या नई कार्यवाही और पहल की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) से (ग) अनु.जाति/अनुजनजाति के बेरोजगार युवाओं को संख्या के मूल्यांकन हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई है और इस समय ऐसी कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, मौजूदा गरीबी उन्मूलन स्कीमों के लाभ, जो रोजगार मुहैया कराती है, अनु.जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित सभी ही प्राप्त हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने वाली प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम/जनसंख्या के कमजोर वर्गों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विशेष एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। आईआरडीपी के अन्तर्गत इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कवर किए गए लाभ ग्राहियों में से 50% अनु. जातियों तथा अनु. जनजातियों से संबंधित होने चाहिए। जेआरवाई तथा इएएस के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति लक्षित समूह में आते हैं, जिसमें से अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। शहरी विकास सेक्टर में दो शहरी गरीबी उन्मूलन स्कीमें चल रही हैं ये हैंः नेहरू रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम/प्रधानमंत्री की रोजगार योजना केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है ताकि ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। पीएमआरवाई के अन्तर्गत, अनु.जाति/अनु.जनजाति लाभग्राहियों के लिए 22.5% आरक्षण का प्रावधान है। कल्याण मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित करता है, जो आदिवासी युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

केन्द्रीय योजनाओं में विलंब होना

2807. **श्री नागमणिः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विलंबित केंद्रीय योजनाओं की संख्या बढ़ रही है;